

पूर्व मध्य रेल
परिचालन संरक्षा चेतावनी संख्या 08/2025
Operating Safety Alert No.08/2025

विषय:- दिनांक 04.11.2025 को द.पू.म.रेल के बिलासपुर मंडल के GTW-BSP सेक्शन के अप लाइन पर गाड़ी सं. 68733 (GAP-BSP) मेमू द्वारा स्वचालित (ऑटोमेटिक) सिगनल को "ऑन" की स्थिति में पार कर पहले से ऑटोमेटिक सिगनल पर खड़ी मालगाड़ी N /MDIT को पीछे से टक्कर।

गाड़ी संख्या 68733 मेमू गटोरा स्टेशन से खुलने के बाद गटोरा और बिलासपुर स्टेशन सेक्शन में ऑटोमेटिक सिगनल को "ऑन" की स्थिति में पारकर पहले से ऑटोमेटिक सिगनल पर खड़ी मालगाड़ी N /MDIT में पीछे से टक्करा गई, जिसके परिणामस्वरूप मेमू गाड़ी का लीडिंग ड्राइविंग मोटर कोच क्षतिग्रस्त हो गया और ड्राइविंग कैब मालगाड़ी के ब्रेकवान में फँसकर पिछले वैगन पर चढ़ गया।

घटना का कारण:- गाड़ी परिचालन के नियमों की अवहेलना।

इस प्रकार की घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए निम्नलिखित सावधानियां बरती जानी चाहिए :-

- (1) लोको पायलट द्वारा सिगनल के सतर्क (कॉशन) एस्पेक्ट को पार करते समय "आगे बढ़ो और अगले रोक (स्टॉप) सिगनल पर रुकने के लिए तैयार रहो" का पालन किया जाए।
- (2) यदि लोको पायलट को 'A' चिन्ह 'मार्कर लगा हुआ कोई ऑटोमेटिक रोक सिगनल 'ऑन' स्थिति में मिलता है तो वह अपनी गाड़ी को उस सिगनल के पहले ही रोक देगा। लोको पायलट वहाँ, दिन में एक मिनट और रात्रि में दो मिनट तक रुकेगा। यदि इतने समय तक प्रतीक्षा के बाद भी सिगनल 'ऑन' ही रहता है तो वह निर्धारित कोड में सीटी बजाएगा और गार्ड के साथ सिगनल का आदान-प्रदान करेगा। फिर वह अगले रोक सिगनल की ओर, जहाँ तक लाइन साफ है, अत्यधिक सतर्कतापूर्वक के साथ, दृश्यता पूर्णतः साफ होने पर 15 कि०मी० प्रति घंटा की गति से आगे बढ़ेगा। गोलाई, वर्षा, धुंध, धूल भरी आंधी या किसी अन्य कारण से अथवा इंजन पुशिंग के मामलों में, जब आगे की दृश्यता स्पष्ट न हो तो लोको पायलट अत्यधिक सतर्कतापूर्वक उस गति से आगे बढ़ेगा जो किसी भी दशा में 10 किमी प्रति घंटे से अधिक नहीं होगी। अनुगामी गाड़ी का लोको पायलट सुनिश्चित करेगा कि उसकी गाड़ी और आगे जानेवाली गाड़ी या लाइन पर किसी अवरोध के बीच 150 मीटर या दो स्पष्ट ओ.एच.ई. के खम्भों की दूरी बनी रहे। फिर भी पीछे से आनेवाली ई.एम.यू. गाड़ी के मामले में उपरोक्त दूरी को 75 मीटर या एक स्पष्ट ओ०एच०ई० खम्भा जो भी अधिक हो तक कम किया जा सकता है।
- (3) ऑटोमेटिक रोक सिगनल को 'ऑन' स्थिति में पास करने के बाद लोको पायलट अगले रोक सिगनल तक अति सतर्कता के साथ आगे बढ़ेगा। यदि सिगनल 'ऑफ' भी है तो भी लोको पायलट वहाँ तक किसी संभावित अवरोध पर लगातार निगाह रखेगा। वह उस सिगनल तक सतर्कता पूर्वक जाएगा और वहाँ पहुँचने के बाद ही उसके संकेत के अनुसार कार्रवाई करेगा।
- (4) किसी स्वचालित रोक सिगनल को 'ऑन' स्थिति में पार करने के बाद गाड़ी का गार्ड निगरानी रखेगा कि लोको पायलट निर्धारित गति को पार नहीं करे और गार्ड अपने ट्रेन जर्नल में उस सिगनल को ऑन स्थिति में पास करने का समय और अगले रोक सिगनल को पास करने का समय दर्ज करेगा।
- (5) यदि कोई गाड़ी स्वचालित ब्लॉक सिगनल सेक्शन में रुक जाती है तो गार्ड तुरन्त पीछे की ओर खतरे का हैंड सिगनल दिखाएगा और यह जाँच करेगा कि टेल बोर्ड / लैंप ठीक से प्रदर्शित हो रहा है।
- (6) स्वचालित (ऑटोमेटिक) सिगनलिंग में कार्य करनेवाले कर्मचारियों को स्वचालित (ऑटोमेटिक) सिगनलिंग कार्यप्रणाली के बारे में समुचित जानकारी होनी चाहिए। सहायक नियम 9.02 (vii) एवं 14.04(V) के अनुसार सघन counselling कर सक्षमता प्रमाण पत्र जारी किया जाना चाहिए।
- (7) दुर्घटना के समय ART /ARME यथाशीघ्र दुर्घटना स्थल पर भेजने के लिए सभी को तुरंत सूचित किया जाना चाहिए।

समस्त मंडलों को निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्त घटना की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए सभी संबंधित कर्मचारियों को इस सम्बन्ध में सघन काउंसिलिंग करें।

MANOJ KUMAR RANJAN Digitally signed by MANOJ KUMAR RANJAN
Date: 2025.12.30 13:51:20 +05'30'

(मनोज कुमार रंजन)

उप.मु.परि.प्रबंधक/सा./हाजीपुर

दिनांक 30.12.25

सं०.ई सी आर /परि. संरक्षा /चेतावनी /73/505,

- प्रतिलिपि:-
1. सचिव, महाप्रबंधक /पू.म.रे, हाजीपुर - महाप्रबंधक महोदय को सादर सूचनार्थ हेतु।
 2. प्रधान मुख्य संरक्षा अधिकारी/ पू.म.रे, हाजीपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कारवाई हेतु।
 3. मण्डल रेल प्रबंधक -धनबाद, दानापुर, डी डी यू, सोनपुर एवं समस्तीपुर को सूचनार्थ।
 4. वरि.म.परि. प्रबंधक -धनबाद, दानापुर, डी.डी.यू. सोनपुर एवं समस्तीपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कारवाई हेतु।
 5. प्राचार्य- क्षेत्रीय रेल प्रशिक्षण संस्थान, मुजफ्फरपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कारवाई हेतु।